भगवान जगन्नाथ की यात्रा में उमड़ी भीड़, जगह-जगह हुआ स्वागत

अभिषेक, पूजन के बाद शुरू हुई यात्रा, शामिल हुए उपमुख्यमंत्री

नवभारत न्यूज

रीवा, 16 जुलाई. गुरुवार की सुबह लक्ष्मण बाग स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आचार्यों की मौजूदगी में पुरी पराम्परा के अनुसार जगन्नाथ भगवान का दिव्य महास्नान कराया गया। जिसके बाद भगवान को विशेष श्रृंगार के साथ सजाया गया। साथ ही अभिषेक पश्चात भोग लगाये गये। जिसके बाद शाम चार बजे भगवान जगन्नाथ अपने ब?भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकल प?।

लक्ष्मण बाग संस्थान में गुरुवार को प्रात־काल भगवान का अभिषेक प्रारंभ किया गया। जिसके बाद उनका पूजन अर्चन वैष्णव परम्परा के अनुसार किया गया। जिसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान अयोध्या धाम से आये जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य महाराज ने अपने आर्शीवचन दिए। बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना एवं भोग प्रसाद के बाद शाम लगभग चार बजे भगवान की महाआरती की गई और वे रथ में सवार होकर बिछिया से होते हुए सीधे किला जा पहुंचे। किला में राजपरिवार द्वारा विधि विधान के अनुसार भगवान का स्वागत एवं पूजा अर्चना की गई। जहां से भगवान नगर भ्रमण पर निकल पड़े।

व्यापारी संघ ने किया स्वागत

शहर में गुरुवार को निकली भगवान जगन्नाथ यात्रा का विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा स्टेचू चौराहा में स्वागत व महाआरती का आयोजन किया गया। जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी को तरह-तरह के भोग लगाये गये। इस दौरान काफी संख्या में संघ के सदस्य एवं श्रद्धालु गण मौजूद थे।

घंटों खड़े रहे सड़क पर श्रद्धालु

भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए शाम से ही फोर्ट रोड, सिन्धी चौराहा, घो?ा चौराहा, जय स्तंभ मार्ग, पुराना बस स्टैण्ड, मार्तण्ड स्कूल तिराहा, शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में स?क के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भी? लगी। भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे-पीछे ठेलों में जामुन, आम, बतासे को बेचते हुए व्यापारी भी चलते हुए देखे गए। लोगों द्वारा जगह-जगह भगवान की आरती, पूजा कर उन्हें भोग अर्पित किया गया।

जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा क्षेत्र, उमड़ा आस्था का सैलाब

नवभारत न्यूज

अमरपाटन, 16 जुलाई. ग्राम लालपुर स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी एवं बलराम जी की भव्य रथयात्रा श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के वातावरण में निकाली गई। सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलराम जी नगर भ्रमण के लिए निकले तो पूरे क्षेत्र में जय जगन्नाथ के जयघोष गूंज उठे।

रथयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति भाव के साथ रथ के साथ चलते हुए भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। नगर के विभिन्न मार्गों एवं चौक-चौराहों पर श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया गया। जगह-जगह भगवान की पूजा-अर्चना कर पुष्प वर्षा की गई तथा भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।

यात्रा के दौरान कई स्थानों पर प्रसादी वितरण की व्यवस्था की गई, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। भजन-कीर्तन, शंखध्वनि और जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

रथयात्रा का आयोजन श्रद्धा, अनुशासन और धार्मिक उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु उपस्थित रहे

प्रभारी मंत्री राधा सिंह दो दिवसीय प्रवास पर आज मैहर आएंगी

नवभारत न्यूज

मैहर 16 जुलाई. मध्यप्रदेश शासन की पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं मैहर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह 17 जुलाई को सायं 4.30 बजे अमरपाटन विधनसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरमसेडा में यादव परिवार के तीन युवकों के दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेगी।

इसके बाद प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह सायं 5.30 बजे ग्राम यदुवीर नगर में तनाजा पूर्व विधायक स्व. श्री लालजी पटेल के नातियों का विगत दिनों सडक दुर्घटना में दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के पश्चात सायं 6.30 बजे सर्किट हाउस मैहर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। प्रवास के दूसरे दिन 18 जुलाई को प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह प्रात: 9.30 बजे सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेगी। इसके बाद प्रभारी मंत्री 10.30 बजे शासकीय विद्यालय पटेहरा में 6 आंगनवाडियों का एक साथ लोकार्पण करेंगी। प्रभारी मंत्री दोपहर 1.30 बजे मैहर से कार द्वारा व्हाया, उचेहरा, नागौद, देवेन्द्रनगर होते हुए पन्ना के लिए प्रस्थान करेगी। प्रभारी मंत्री सायं 7 बजे पन्ना से प्रस्थान कर इसी रात्रि 9.20 बजे मैहर से रेवांचल एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगी।

तेज रफ्तार ऑटो ने छीनी मासूम की जिंदगी

शव रखकर सड़क जाम, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 जुलाई। जिले के भरसेड़ा गांव में बुधवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। तेज रफ्तार ऑटो की चपेट में आने से 4 वर्षीय शोभिया साकेत पिता रविन्द्र साकेत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया।

जानकारी के अनुसार भुईमाड़ निवासी युवक ऑटो वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडडी 2343 को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान भरसेड़ा निवासी रविन्द्र साकेत की चार वर्षीय बेटी शोभिया साकेत सड़क पर उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची का शव भरसेड़ा मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी चालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई, हत्या का प्रकरण दर्ज करने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 16 घंटे से अधिक समय से शव को सड़क किनारे रखकर आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। आज गुरूवार की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस के आश्वासन के बाद मृतिका के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने सहमति हुये। इस दौरान मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बगहा के पहुंच मार्ग पर लगी रोक

कलेक्टर के आदेश में प्रस्तावित पहुंच मार्ग की जमीन हुई प्रतिबंधित

नवभारत न्यूज

सतना 16 जुलाई. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क एवं इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) परियोजना के अंतर्गत ग्राम बगहा तहसील रघुराजनगर में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के लिए आदेश जारी किया गया है।

म.प्र. औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय, नामांतरण, अंतरण, विभाजन, डायवर्जन तथा नवीन भवन निर्माण अनुमति/नक्शा स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135 बीजी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 से स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बगहा तक प्रस्तावित 24 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग में आने वाली प्रभावित भूमि पर लागू होगा। इसके अंतर्गत टीएंडसीपी (नगर तथा ग्राम निवेश) एवं नगर निगम सतना द्वारा जारी की जाने वाली भवन निर्माण संबंधी अनुमतियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न न हो और परियोजना समय पर पूर्ण की जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

चितरंगी तहसील में 9 पटवारियों के प्रभार में फेरबदल

एसडीएम ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत जारी किया आदेश

नवभारत न्यूज

चितरंगी 16 जुलाई। कार्यालय उपखंड अधिकारी राजस्व चितरंगी द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र के 9 पटवारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है।

एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है तथा संबंधित पटवारियों को अपने-अपने नवीन प्रभार का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर कार्यालय में सूचना प्रस्तुत करने के निर्देशित किया।

आदेश के अनुसार महेंद्र सिंह चौहान को भौंडार से गोरबी (मूल), तीरथ प्रसाद यादव को गोरबी से भौंडार (मूल), विनय त्रिपाठी को करैला से अजुगढ़ (मूल), विष्णु गोपाल दुबे को नौढ़िया से पिपरा (मूल) एवं नौढ़िया (अतिरिक्त प्रभार), राजेश कुमार शाह को अजुगढ़ से महदेईया (मूल), अनुराग अग्रवाल को पतेरी से पतेरी (मूल) एवं करैला (अतिरिक्त प्रभार), गिरजेश जायसवाल को चिनगो से सेमुआर (मूल) एवं सिधार (अतिरिक्त प्रभार), धर्मराज गोस्वामी को सेमुआर से चिनगो (मूल) एवं कतरिहार (अतिरिक्त प्रभार) तथा विवेक पटेल को सिलफोरी से बरमानी (मूल) एवं सिलफोरी (अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार सौंपा गया है। आदेश पर उपखंड अधिकारी (राजस्व) चितरंगी के हस्ताक्षर हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

बेकाबू हाइवा घर में घुसा, टला बड़ा हादसा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 जुलाई। देवसर के पूर्वी बाईपास पर बुधवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया, जब तेज रफ्तार लोडेड हाईवा क्रमांक सीजी 15 ईई 5449 राष्ट्रीय राजमार्ग से अनियंत्रित होकर नीचे उतर गया और सीधे एक मकान में जा घुसा।

मकान से टकराने के बाद हाईवा पलट गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब शुक्ला परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जोरदार धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग घबराकर बाहर निकले। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वाहन कुछ फीट और आगे बढ़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के समय घर में मौजूद वृद्ध मथुरा प्रसाद गुप्ता भी सुरक्षित बच गए। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे भयावह अनुभव बताया। हादसे में मकान के अलावा पास स्थित तिवारी मशीनरी की दुकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 51 कर्मचारियों का वेतन कटा

नवभारत न्यूज

सीधी, 16 जुलाई. स्वास्थ्य विभाग में समयबद्ध उपस्थिति, कार्य संस्कृति में अनुशासन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने सार्थक एप में नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 51 कर्मचारियों के वेतन कटौती की कार्रवाई की है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से दर्ज की जाती है, जिससे उनकी उपस्थिति एवं कार्यस्थल पर उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 51 कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्थक एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों के वेतन में नियमानुसार कटौती की गई है। डॉ. खरे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित रहना और डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन निर्धारित समय पर सार्थक एप में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करते हुए आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा आगे भी जारी रहेगी तथा अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **रीवा-कॉलेज रोड, आईआईएफएल गोल्ड लोन, पहली मंजिल, 17-35, जॉन टॉवर के पास, सिंडिकेट बैंक के ऊपर, कॉलेज रोड रीवा - 486001 (म.प्र.),** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL17528848, GL19565230, GL28227000, GL31266518, GL32969896, GL33438966, GL33559377, GL33629256, GL33643186, GL34235706, GL34519842, GL34529766, GL35179951, GL35184618, GL35331047, GL35411563, GL35409544, GL36196023, GL36174773, GL36456996, GL36455691, GL36696092, GL36978302, GL37279745, GL38399721, GL38887014, GL39032871, GL39141367, GL39197347, GL39326416, GL39894485, GL39876086, GL39912894, GL40270878, GL40270121, GL47165155, GL40359300, GL50947371.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: रीवा

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

सिगरेट पीने की शिकायत के बाद छात्र से मारपीट का आरोप

सिंगरौली 16 जुलाई। संदीपनि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवसर में कक्षा 11वीं के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल छात्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में उपचार कराया गया। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कक्षा 11वीं सेक्शन-बी के छात्र सागर सोनी निवासी ग्राम इटार ने विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा कथित रूप से सिगरेट पीने की शिकायत शिक्षक के माध्यम से प्राचार्य सीपी प्रजापति से की थी। परिजनों का आरोप है कि इसी शिकायत से नाराज कुछ छात्रों ने लंच अवकाश के दौरान विद्यालय परिसर में बाहरी युवक के साथ मिलकर सागर के साथ मारपीट कर दी। घायल छात्र को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना में उमरहर निवासी दिलशाद राजा भी शामिल था, जो घटना के बाद फरार हो गया।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **सतना-गोपाल कॉम्प्लेक्स - आईआईएफएल गोल्ड लोन, दुकान नं. 22 गोपाल कॉम्प्लेक्स, एनएच 75, बस स्टैंड के सामने, सतना (म.प्र.) - 485001,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL32886965, GL42358135, GL33413391, GL41782921, GL34396536, GL39955519, GL36843424, GL36911620, GL39064609, GL40217790, GL40202339, GL41010877, GL41013364.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: सतना

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

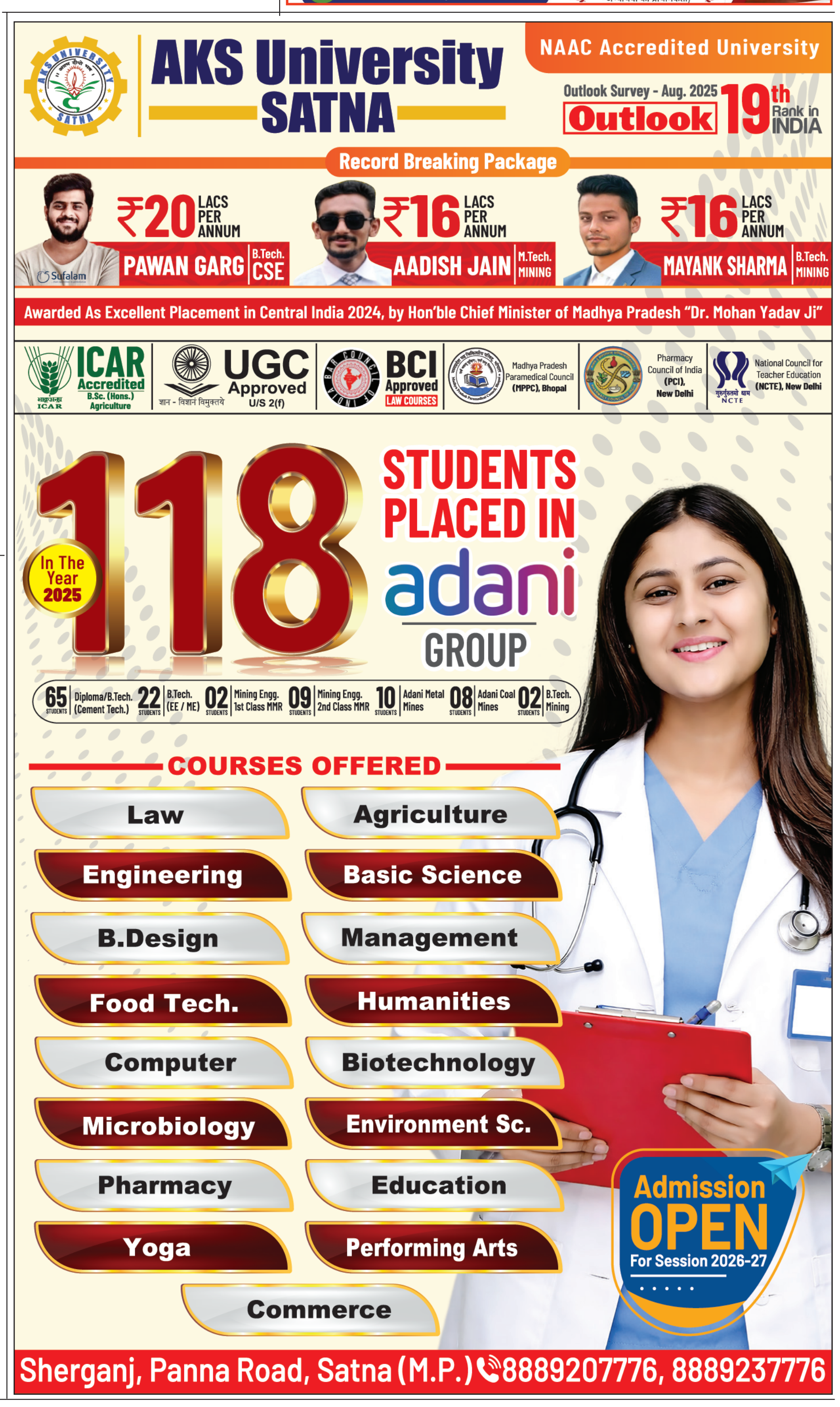

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99